POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 26.08.2025

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-186/2025 धारा-137(2)/87/352/351(2)/64(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त विष्णु कुमार राकेश पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम जंघई थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-26.08.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जंघई के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विष्णु कुमार राकेश पुत्र लालचन्द्र निवासी ग्राम जंघई थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 बर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-186/2025 धारा-137(2)/87/352/351(2)/64(1) भा0न्या0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमाकान्त, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 संदीप यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-118/2025 धारा-137(2)/87/142/64(2)m भा0न्या0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा दिनांक-25.08.2025 को जनपद जौनपुर स्थित कटवार बाजार के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर, उम्र करीब 39 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-118/2025 धारा-137(2)/87/142/64(2)m भा0न्या0सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 फैयाज अहमद, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 रामाश्रय यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 48 घंटे के अन्दर थाना नैनी क्षेत्रांतर्गत महेवा नई बस्ती में घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़ा तथा 01 साइकिल बरामद

आज दिनांक-26.08.2025 को थाना नैनी पुलिस द्वारा थाना नैनी क्षेत्रांतर्गत महेवा नई बस्ती में घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त आदित्य भारतीया पुत्र मनोहर लाल निवासी महेवा नई बस्ती (पूरब पट्टी) थाना नैनी जनपद प्रयागराज को 48 घंटे के अन्दर थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार कर निशांदेही पर आलाकत्ल कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त 01 साइकिल बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.08.2025 को थाना स्थानीय पुलिस को एक बच्चे का शव थाना नैनी क्षेत्रान्तर्गत पारस कुंज अपार्टमेंट के सामने विद्यापीठ स्कूल के गेट के सामने गुलाब के खेत में मिलने की सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गयी तथा फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। थाना स्थानीय पुलिस की जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक-22.08.2025 को शाम एक बच्चा (शरद पुत्र मोहनलाल भारतीया

निवासी महेवा नई बस्ती थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 11 वर्ष) सामान लेने के लिए दुकान पर गया था, उसके बाद से घर वापस नहीं आया था, यह शव शरद उपरोक्त का होना ज्ञात हुआ।

जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा/मृतक के पिता मोहनलाल पुत्र हुबलाल निवासी महेवा नई बस्ती पूरब पट्टी थाना नैनी प्रयागराज की तहरीरी सूचना पर दिनांक-23.08.2025 को थाना नैनी पर मु0अ0सं0-413/2025 धारा-103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ था। अभियोग के अनावरण हेतु थाना नैनी से पांच टीमों का गठन किया गया था। वादी मुकदमा के घर से लेकर घटनास्थल तक आने-जाने वाले सभी रास्तों को चिन्हित करते हुये रास्तों/घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन किया गया, जिससे उपरोक्त घटना में अभियुक्त आदित्य भारतीया उपरोक्त प्रकाश में आया।

थाना नैनी पुलिस टीम के अथक प्रयास से 48 घंटे के अन्दर आज दिनांक-26.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त हत्या की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त आदित्य भारतीया उपरोक्त को विद्यापीठ महेवा थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त 01 साइकिल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त आदित्य भारतीया उपरोक्त ने बताया कि अप्रैल 2024 में मेरे चाचा प्रह्लाद की मृत्यु एक्सीडेन्ट में हो गयी थी, तथा मेरे भाई अभेराज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों घटनाओं में मेरी चाची मीना देवी पत्नी मोहनलाल ने खुशी मनाई थी, दुख नहीं मनाया था, तथा चाची मीना देवी हम लोगों को आये दिन ताना मारती रहती थी। जिससे क्षुब्ध होकर मैनें अपनी चाची को दुख पहुंचाने के लिये, अपनी चाची मीना देवी के लड़के की हत्या करने की योजना बना लिया था। दिनांक-22.08.2025 को शाम को जब मेरा चचेरा भाई शरद पुत्र मोहन लाल निवासी नई बस्ती महेवा पश्चिम पट्टी थाना नैनी जनपद प्रयागराज उम्र 11 वर्ष दुकान पर जा रहा था, तब पतंग लाने के बहाने गली में से उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर गलियों में घुमाते हुये पुरूषोत्तम दास इंटर कालेज महेवा के खेत(जिसमें आशीष भारतीया

द्वारा गुलाब के फूल की खेती की जाती है) के पास ले गया तथा गुलाब के फूल रखने वाले साड़ी के लाल रंग के कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी थी, और अपने घर आकर कपड़े बदलकर अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। उस कपडे को मैंने खेत में बने छोटे से गढ्ढे में ईंट से दबा दिया था तथा अपनी साइकिल लाकर अपने घर पर खड़ी कर दी थी। बाद मे पकड़े जाने के डर से उस साइकिल को खेत पर बनी झोपडी के पास छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आदित्य भारतीया पुत्र मनोहर लाल निवासी महेवा नई बस्ती (पूरब पट्टी) थाना नैनी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-413/2025 धारा-103(1) बीएनएस थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 कपड़ा आलाकत्ल (अभियुक्त आदित्य भारतीया उपरोक्त की निशांदेही पर)
2. 01 साइकिल घटना में प्रयुक्त (अभियुक्त आदित्य भारतीया उपरोक्त की निशांदेही पर)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सोहराब अहमद, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 उत्कर्ष सिंह, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 बृजेश यादव, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. उ0नि0 प्रभाकर शुक्ला, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. उ0नि0 हर्ष यादव, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. उ0नि0 अभियज बोहत, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

9. म0उ0नि0 ज्योति सचान, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
10. म0उ0नि0 नेहा चौधरी, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
11. हे0का0 राजकुमार राय, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-80/2025 धारा 316(2)/352/351 (2)/308(5) बीएनएस का वांछित अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम लेडियारी थाना खीरी जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-26.08.2025 को थाना खीरी क्षेत्र के लेडियारी हौली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक/वादी विजय कुमार मीना पुत्र अमर सिंह मीना निवासी 49 माली की कोठी बगराना आगरा रोड लुनियावास थाना कनौता जिला जयपुर राजस्थान द्वारा विपक्षीगण को जमीन खरीदने हेतु पैसा देना, विपक्षीगण द्वारा जमीन लिखवाने में हीला हवाली करना तथा पैसा मांगने पर वापस न करना और वादी को गाली गलौज करना व मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/25 धारा 316(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना वाले दिन से ही सम्बन्धित अभियुक्त राजेश सिंह पुत्र बाबूलाल उपरोक्त की लगातार तलाश व सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। आज दिनांक-26.08.2025 को थाना खीरी क्षेत्र लेडियारी हौली तिराहे से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में धारा 308(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त पूछने पर बता रहा हैं कि मैंने अपनी 10 बीघा जमीन राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार मीना पुत्र अमर सिंह को बेंची थी जिसके एवज में 60 लाख रुपया मुझे मिलने के पश्चात मैंने अपनी जमीन का बैनामा विजय कुमार मीना के नाम नहीं किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम लेडियारी थाना खीरी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 42 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 80/2025 धारा 316(2)/352/351(2)/308(5) बीएनएस थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 उमेश कुमार थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे0का0 अर्जुन सिंह थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 योगेन्द्र यादव थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 466/2022 धारा 457/380/342 भादवि का नामित वांछित अभियुक्त बृजेश पुत्र स्व0 संगमलाल निवासी ग्राम अडार करमा थाना घूरपुर प्रयागराज को आज दिनांक-26.08.2025 को खटखट तिराहा बलापुर से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-21.12.2022 को वादी किशन देव पुत्र राजा निवासी अड़ार (करमा) थाना घूरपुर प्रयागराज ने अपनी दुकान से आरोपीगण कल्ली पुत्र गुलाब व बृजेश पुत्र संगमलाल निवासीगण अड़ार करमा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा रात में दुकान का ताला तोड़कर कूलर, पंखा आदि चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 466/2022 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। चोरी का माल पूर्व में नामित अभियुक्त कल्ली उपरोक्त से बरामद किया जा चुका

है । अभियुक्त बृजेश उपरोक्त में वांछित चल रहा था, जिसे आज दिनांक-26.08.2025 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त बृजेश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2022 में गांव के कल्ली के साथ मिलकर किशनदेव की इलेक्ट्रिक की दुकान से रात्रि में ताला तोड़कर चोरी किये थे, परन्तु पूरा माल कल्ली से बरामद कर लिया था मेरे पास कुछ नही बचा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बृजेश पुत्र स्व0 संगमलाल निवासी ग्राम अडार करमा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज. उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 462/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0 466/2022 धारा 457/380/342 थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 दिनेश सिंह, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.उ0नि0 सच्चिदानन्द सिंह, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3.का0 धीरज यादव, थाना घूरपुर कमिश्ननरेट प्रयागराज।
4.का0 राम अवध यादव, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग के 02 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी रायफल बरामद

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 420/2025 धारा 109/352/351(2) बीएनएस के नामजद अभियुक्तगण 1.सूर्यकान्त मिश्रा पुत्र हर गोविन्द नारायण मिश्रा पता कमला नगर धनुआ थाना नैनी प्रयागराज 2.अजीत मिश्रा पुत्र सूर्यकान्त मिश्रा पता कमला नगर धनुआ थाना नैनी प्रयागराज को दिनांक-25.08.2025 को अभियुक्त के घर से पुलिस हिरासत में लिया गया। घर की तलाशी से 01 लाइसेंसी रायफल बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-25.08.2025 को वादिनी मुकदमा सरोज तिवारी पत्नी दिलीप तिवारी निवासी धनुआ डांडी जनपद प्रयागराज के तहरीरी सूचना बाबत विपक्षीगण द्वारा वादिनी के जमीन पर कब्जा को लेकर गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देना व लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना नैनी पर मु0अ0सं0 420/2025 धारा 109/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

दिनांक-25.08.2025 को थाना नैनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले नामजद अभियुक्तगण सूर्यकान्त मिश्रा व अजीत मिश्रा उपरोक्त को अभियुक्त के घर से पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के घर की तलाशी से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी रायफल बरामद किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 27/30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि सरोज तिवारी अपने साथ अधिक संख्या में अधिवक्ता व अन्य लोगों को लायी थी, हम लोगों को लगा कि वो हमारा मकान गिरा देंगे, इसलिए हम लोगों ने अपने घर में रखी लाइसेंसी रायफल से फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सूर्यकान्त मिश्रा पुत्र हर गोविन्द नारायण मिश्रा पता कमला नगर धनुआ थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 63 वर्ष।
2. अजीत मिश्रा पुत्र सूर्यकान्त मिश्रा पता कमला नगर धनुआ थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 लाइसेंसी रायफल (अभियुक्तगण के घर की तलाशी से)।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 420/2025 धारा 109/352/351(2) बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अजीत मिश्रा उपरोक्त-

मु0अ0सं0 13/2022 धारा 323, 406,/498-A/504/506 भा.द.वि. व 3/4 डीपी एक्ट महिला थाना कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरम-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सोहराब अहमद, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म0उ0नि0 ज्योति सचान, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. म0उ0नि0 नेहा चौधरी, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 लोकेश कुमार, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 घंटी बरामद

थाना घूरपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/22 धारा 457/380 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र फकीर मोहम्मद उर्फ मुंशी नि0 ग्राम घूरपुर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-26.08.2025 को चोरी हुई 04 घंटी के साथ अमरेहा स्थित कबाड़ी की दुकान थाना क्षेत्र घूरपुर से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी संन्दीप भारतीया पुत्र ताराचन्द निवासी बड़ी बोंगी थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा दी गई तहरीर बाबत बड़ी बोंगी स्थित काली माता जी के मन्दिर से 16 बंधे घन्टों को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण इस्माइल उर्फ बाबा पुत्र मो0 ईसहाक व गोरे लाल पुत्र रामबली निवासीगण बड़ी बोंगी थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। प्रकाश में आया अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त फरार चल रहा था। जिसे आज दिनांक-26.08.2025 को चोरी की 04 घंटी के साथ थाना क्षेत्र घूरपुर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ग्राम अमरेहा में कबाड़ी की दुकान खोल रहा हूँ कबाड़ी की दुकान पर कबाड़ के साथ कभी-कभी चोरी का माल भी खऱीद लेता हूँ। वर्ष 2022 में मैनें बड़ी बोंगी के इस्माइल उर्फ बाबा पुत्र मो0 ईसहाक व गोरे लाल पुत्र रामबली से चोरी के छोटी बड़ी 14 घन्टिया खऱीदी थी, जिसमें से 10 घन्टिया मैने उसी समय कबाड़ में बेच दिया था शेष 04 घन्टिया दुकान में ही पड़ी रह गई जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया।

पूछताछ पर बताया कि कबाड़ की दुकान की आड़ में कभी-कभी चोरी का माल सस्ते दामो में खरीद कर ऊचे दामों में बेचकर लाभ कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सद्दाम पुत्र फकीर मोहम्मद उर्फ मुंशी नि0 ग्राम घूरपुर थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 35 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 229/2022 धारा 457/380/411/414 भादवि थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज।

अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 217/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0 218/2016 धारा 379/411 भादवि थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 04 घंटी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 दिनेश सिंह, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.उ0नि0 अमित यादव, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3.उ0नि0 अमित कुमार पाल, थाना घूरपुर कमिश्ननरेट प्रयागराज।
4.का0 संतोष पटेल, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
5.का0 शुभम कुमार, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।